No. B-VIII (d) 22/Vol. XV/ 1742
H.P. Forest Department.

From:

Chief Conservator of Forests,
Shimla Forest Circle,
Shimla..

To

The Director,
Information & Public Relation,
HP, Shimla-171002.

Dated Shimla, the 02.07.2021

Subject:- **Publication of advertisement regarding recruitment of Forest Guards on contract basis.**

Sir,

Please find enclosed herewith an advertisement regarding recruitment of Forest Guards on contract basis in Shimla Forest Circle of Forest Department, HP. It is requested that this advertisement may please be got published in the classified column of "Giriraj" and two leading news papers preferably in one Hindi and one English on 05.07.2021. The said advertisement is also uploaded online on the official website of your department.

Yours sincerely,

2/7/21

Chief Conservator of Forests,
Shimla Forest Circle,
Shimla.

Encl: As Above.

वन विभाग के अन्तर्गत वन वृत शिमला हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों की अनुबंध के आधार पर भर्ती।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन वृत शिमला में वन रक्षकों के कुल 24 पदो की अनुबंध के आधार (On Contract Basis) पर सीधी भर्ती हेतू online माध्यम से आवदेन आमंत्रित किए जाते है। वन–रक्षकों की भर्ती सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या FFE-A(B)2-3/2016 दिनाकं 12.07. 2019 व 19.04.2021, अधिसूचना संख्या FFE-A(B)23/2010 दिनाकं 20.09.2014 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या FFE-A(B)2-23/2010-I dated 08.07.2016 (Ist Ammendment) व No FFE- A (B) 2-8/2017 Dated 26.08.2017 (IInd Ammendment) वन रक्षक भर्ती एंव पदोन्ति नियमों के आधार पर की जाएगी। आवेदन के लिए आवदेक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय/उप राजेगार कार्यालय मे पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुबंध के आधार पर नियुक्त वन रक्षक को 5910 रूपए (मूल वतेन) 2000 रूपए (ग्रेड पें) व ग्रेड पे पर 150 प्रतिशत बढौतरी की राशि प्रति माह अनुबंध वेतन के रूप में दी जाएगी। वन रक्षक के पद पर चयनित उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर प्रारंम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण/अवधि विस्तार, वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्रचार्ती वर्ष/वर्षो के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है। वन रक्षक पद वृत स्तरीय संवर्ग का है यदि आवदेक वन वृत शिमला में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्ते पूरी करता हो तो official website www.hpforest.nic.in द्वारा online माध्यम से दिनांक 06.07.2021 से अपना आवेदन कर सकता है। आवदेन की अन्तिम तिथि 19.08.2021 सांय 5 बजे तक है। महिला उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवदेन कर सकती हैं। वन वृत शिमला में उपलब्ध पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No	Category	Un-reserved	Children/Grand Children of Freedom Fighters	Ex-Serviceman	Distinguished Sportsperson	IRDP	Home Guard	Total
1.	General	4	-	3	1	-	1	9
2.	S.C.	4	-	-	-	1	-	5
3.	S.T.	1	-	-	-	1	-	2
4.	OBC	3	1	-		1	-	5
5.	E.W.S	3	-	-	-	-	-	3
	Total	15	1	3	1	3	1	24

नोटः भतूपूर्व सैनिक के अंतर्गत पद की भर्ती हेतु उम्मीदवार आवेदन न करें, उनकी भर्ती हेतु सम्बन्धित विभाग को नाम अनुमोदन करने के लिए अलग से लिखा जायेगा ।

पात्रता की आवश्यक शर्तेः –

1. आवदेक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत/नवीनकृत (Renewal) होना अनिवार्य है।
2. आवदेक की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। नोटः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारो के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम/सवायत निकायों के संबन्धित आवदेकों को भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है।

3. आवेदक ने 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उर्तीण की हो। अभ्यार्थी, वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

शारीरिक माप दण्डः		
	पुरूष	महिला
1. ऊचांई	165 सैंमी0	150 सैंमी0
2 छाती (क) बिना फुलाए	79 सैंमी0	74 सैंमी0
(ख) फुलाकर	84 सैंमी0	79 सैंमी0

नोटः— अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की बावत शारीरिक मापदण्ड लम्बाई में 5 सै0मी0 तथा छाती को फूलाए बिना और फूलाकर प्रत्येक की बावत माप में 4 सै0मी0 की छूट दी जाएगी।

4. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) (पी0ई0टी0) केवल अर्हक परीक्षण (टैस्ट) होगा ।**

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए			
क्रम सख्या	मद	न्यूनतम माप दण्ड	टिप्पणीयॉ
1	100 मीटर की दौड	14 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नही दिया जाएगा)	केवल अर्हक
2	800 मीटर की दौड	2 मिनट 45 सैकेडं (कोई अतिरिक्त मौका नही दिया जाएगा)	केवल अर्हक
3	ऊॅची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
4	लंबी कूद (ब्राड जम्प)	4 मीटर (अधिकतम तीन मोके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
महिला अभ्यर्थियों के लिए			
क्रम संख्या	मद	न्यूनतम माप दण्ड	टिप्पणीयॉ
1	100 मीटर की दौड़	17 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नही दिया जाएगा)	केवल अर्हक
2	800 मीटर की दौड	4 मिनट 15 सैकेडं (कोई अतिरिक्त मौका नही दिया जाएगा)	केवल अर्हक
3	ऊॅची कूद	1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
4	लंबी कूद (ब्राड जम्प)	3 मीटर (अधिकतम तीन मोके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक

भर्ती प्रक्रिया :

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test)

i) वे उम्मीदवार जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हो उन्हे निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 मीटर तथा 800 मीटर दौड (पुरूष), 100 मीटर तथा 800 मीटर दौड (महिला) ऊंची छलांग तथा लंबी छलांग, सभी में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण समय सारणी के अनुसार होगा, जिसकी सूचना बाद मे दी जाएगी।

ii) वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणो में अर्हक/उतीर्ण होगें केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एंव स्थान की सूचना उन्हे शारीरिक दक्षता परीक्षण के तुरंत बाद दी जाएगी। यह जानकारी विभागीय वेबससइट (www.hpforest.nic,in) पर उपलब्ध होगी।

iii) शारीरिक दक्षता अर्हक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के परिणामो पर आधारित याग्यता सूची के अनुसार उम्मीदवारो को व्यक्तित्व प्रमाण पत्रों के मुल्यांकन हेतू सूचित किया जाएगा, यह जानकारी विभागीय वेबससइट (www.hpforest.nic.in) पर उपलब्ध होगी। मुल्यांकन जो कि लिखित परीक्षा के अंको व नीचे दर्शाए गए प्रमाण पत्रों, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी. बी.) बी (15)–5/2014 दिंनाक 17.04.2017 व 25.04.2017 द्वारा अधिसुचित किया गया है, के आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्रों के आधार पर अंको का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रंम संख्या	परीक्षण	निर्धारित अंक
1	**शारीरिक दक्षता**	-
2	**लिखित परीक्षा** (लिखित परीक्षा में प्राप्तांको की प्रतिशतता 85 अकों में से परिकलित की जानी है उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)	85
3	**प्रमाण पत्रों का मूल्याकंन***	15
i)	भर्ती एव पद्वोन्ती नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50×0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे।	2.5 अंक
ii)	यथास्थित, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	01 अंक
iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बंद्व राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	01 अंक
iv)	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध–सरकारी सेवा में नही है।	01 अंक
v)	40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक
vi)	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता	01 अंक

vii)	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से कम(समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी. पी. एल. कुटुम्ब	02 अंक
viii)	विधवा/तलाकशुदा/अंकिचनं/एकल महिला।	01 अंक
ix)	ऐकल बेटी/अनाथ	01 अंक
x)	किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आवेदन किए गए पद से संबंधित कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण।	01 अंक
xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	2.5 अंक
	*(क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यागजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दू के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा।)	

आवेदको के लिए आवश्यक निर्देश :

1. आवदेन पत्र केवल online through official web at www.hpforest.nic.in ही मान्य होगा।
2. आवेदन पत्र की जाचं के उपरान्त उम्मीदवारों को स्थानीय अखबार के माध्यम तथा विभागीय वेबसाइट से शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में सूचित किया जाएगा।
3. यदि कोई आवदेन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्व कर दिया जाएगा। तथा इस बारे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।
4. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षण एंव व्यक्तिगत परीक्षा की प्रक्रिया किसी कारण वश निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
5. आवदेक शारीरिक दक्षता परीक्षण एव व्यक्तिगत परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप मे अपने साथ अवश्य लाएं:
   - क दसवीं का प्रमाण पत्र
   - ख. शैक्षणिक योग्यता (10+2) प्रमाण पत्र
   - ग. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ आईआरडीपी/ अन्तोदेय/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र।
   - घ. पासपोर्ट आकार की चार नवीनतम फोटो साथ लाएं।
   - ड. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, जिसका नवीनीकरण किया गया हो।
6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों, जो 32 कि0मी0 से अधिक दूरी से साक्षात्कार के लिए आएगें। वह नियमानुसार आने जाने के वास्तविक बस किराये की राशि के पात्र होगें। अन्य उम्मीदवारों को कोई भी यात्रा भता देय नही हागेा।
7. यदि प्रार्थी शारीरिक जांच /शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा व व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों के मुल्यांकन के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
8. विज्ञापित किये गए पदों की संख्या Tentative हैं तथा ये बढाई व घटाई जा सकती है।
9. सक्षम अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार रखता है।
10. केवल वही अभ्यार्थी इस पद के लिए आवदेन कर सकते है जिनका नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय मे पंजीकृत हो।

11. अनुबंध के आधार पर नियुक्त अनुबन्धी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
12. प्रमाण पत्र का स्वंय सत्यापन मान्य हागेा।
13. समस्त भर्ती प्रकिया COVID सम्बधिं हालात व इस बारे सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी।

अन्य जानकारी के लिए मुख्य अरण्यपाल वन वृत शिमला के कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

वन वृत शिमला : 0177–2624850

मुख्य अरण्यपाल,
वन वृत शिमला